केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान / Autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

E-Mail : dckvsrobhopal@gmail.com
Website : https://robhopal.kvs.gov.in/

☎ 0755 – 2550728 (DC)
2551678 (ACs)
2551699 (AO / FO)
Fax : 0755 – 2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल – 462 011 (म.प्र.)
Opposite Maida Mill,
Bhopal – 462 011 (M.P.).

फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/ 13270-337

दिनांक : 14.01.2025.

आवश्यक / ई-मेल द्वारा

प्राचार्य,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विषय :- आंतरिक शिकायत समिति का गठन/पुर्नगठन करने एवं विद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" / "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" की धारा–4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यालय में teaching staff upto the level of PGTs (except HMs) & non-teaching staff upto the level of ASOs इत्यादि के विरुद्ध विद्यालय की महिला कार्मिकों से प्राप्त शिकायतों का अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की अनुसार शिकायतों की जॉच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करने एवं शिकायतों के उचित निपटान हेतु विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का गठन एवं प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा आवश्यकतानुसार उचित समय पर पुर्नगठन किया जाना भी आवश्यक है। साथ ही उक्त समिति के गठन संबंधित आदेश को विद्यालय की बेबसाईट पर सम्पर्क सूत्र सहित अपलोड किया जाना भी आवश्यक है। समिति में नियमानुसार Presiding Officer (Female), 1 Male Member, 1 Female Member एवं 1 NGO Member को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों की बेबसाईट पर समिति के गठन/पुर्नगठन संबंधित आदेश की प्रति अपलोड नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-3/654-664 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली स्तर पर एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/6942-49 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल स्तर पर पुर्नगठित "आंतरिक शिकायत समिति" की छाया प्रति संलग्न है।

तदनुसार उपर्युक्त आदेशों के संदर्भ एवं आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि विद्यालय स्तर पर "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन / पुर्नगठन करने के साथ ही समिति का आदेश को विद्यालय की बेबसाईट पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही दिनांक 17.01.2025 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जायें। उक्त तिथि पश्चात इस कार्यालय द्वारा विद्यालयों में कृत कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्ति हेतु आगामी उचित कार्यवाही करते हुए जानकारी प्राप्त की जायेगी।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(आर. सेन्दिल कुमार)
उपायुक्त

14/01/2025

22 OCT 2024

ई-मेल/स्पीडपोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
18 संस्थागतक्षेत्रशहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली--110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

AC-1
AC-2
AC-3
AO
FO
Deputy Commissioner

F.11-55/2000-KVS(Vig.)Pt.3/654-664 Dated: 18/10/2024

ORDER

In supersession to previous orders on the subject, the approval of the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan is hereby conveyed to re-constitute the "Internal Complaints Committee" at Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) to deal with the complaints regarding sexual harassment of women at workplace, in terms of the provisions of Section 4(2) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 enforced on 9th December, 2013. Accordingly, the following members are nominated for constituting the 'Internal Complaints Committee' at KVS (HQ) level to deal with the complaints of sexual harassment in respect of women employees at KVS (Hqrs) and the complaints against all Group 'A" officers of KVS (HQ), Regional Offices and ZIETs.

S. No.	Nomenclature	Name of the nominated member
1	Presiding Officer	Ms. Chandana Mandal, Joint Commissioner (Trg.), KVS (HQ)
2	NGO Member	1. Mrs. Poonam Bhatnagar, General Secretary, Advocate & Social Worker, Kothi No. 235/3, Opp. BSNL Telephone Exchange, Old Delhi Road, Gurugram-122001 (Haryana). 2. Prof. Daya Pant (Retd.), Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT, O 103 Design arch, Vaishali, Section 5 Ghaziabad - 201010 3. Jyoti Tomar (Chairman), Sunheri Disha, Charitable Trust (Reg.), West Model Town Rajnagar Extension, Ghaziabad. 4. Smt. Sheela Bahal, General Secretary Mahila Shanti Sena (Reg.), NGO Member, 42/11, Bilochpura, Madera Katra, Agra
3	Female Member	Dr. Ritu Pallavi, Assistant Commissioner (Acad.), KVS (HQ)
4	Male Member	1. Mr. Pushpendra Kumar, Assistant Commissioner (Admn.) KVS (HQ) 2. Mr. Abhishek Sharma, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 3. Sh. Saurabh Jaitly, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 4. Sh. Manoj Kumar Pandey, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 5. Sh. Amar Pal Singh Brar, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 6. Shri AK Srivastava, Assistant Commissioner KVS (HQ)

20 OCT 2024
DIARY No. 602

The Presiding Officer and the members of the above committee will hold office for a period not exceeding three years from the date of issue of this order. The Presiding Officer of the Committee will ensure the following:-

Versus State of Rajasthan & Others and order dated 26.04.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Medha Kotwal Lele& Others Vs Union of India & others.

IV. It is mandatory to have one NGO member while investigating the cases of sexual harassment of women employees.

V. Submission of Inquiry Report with specific findings and supporting documents alongwith her comments/recommendation within a period of one month from the date of such receipt of a complaint.

However, the ICC Committees constituted at the Regional Office level will conduct the preliminary/first stage inquiry into the complaints of Sexual Harassment against Principals/V.P.s.

The Deputy Commissioner of the Regional Offices will forward the inquiry reports to this HQ for consideration of the Disciplinary Authority for further action.

This issues with the approval of the competent authority.

(Lal Bahadur Sharma)
Assistant Commissioner (Vigilance)

Distribution:-

1. Ms. Chandana Mandal, Joint Commissioner (Trg.), KVS (HQ) & Presiding Officer, ICC at KVS(HQ).
2. Mrs. Poonam Bhatnagar, General Secretary, Advocate & Social Worker, Kothi No. 235/3, Opp. BSNL Telephone Exchange, Old Delhi Road, Gurugram-122001 (Haryana).
3. Prof. Daya Pant (Retd.), Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT, O 103 Design arch, Vaishali, Section 5 Ghaziabad - 201010
4. Jyoti Tomar (Chairman), Sunheri Disha, Charitable Trust (Reg.), West Model Town Rajnagar Extension, Ghaziabad.
5. Smt. Sheela Bahal, General Secretary, Mahila Shanti Sena (Reg.), NGO Member, 42/11, Bilochpura, Madera Katra, Agra.
6. All the nominated members concerned in KVS(HQ).
7. The Under Secretary (UT-2), Ministry of Education, Shastri Bhawan, New Delhi for information.
8. The Dy. Commissioners/Directors, All ROs/ZIETs with the directions to bring this order to the notice of all the employees of ROs & KVs under t heir control.
9. All Officers and Sections of KVS Hqrs, New Delhi.
10. The Dy. Commissioner (Acad.), EDP Cell with the request to upload the order on KVS Website in sub-head 'Vigilance' under "Administration"'
11. Guard file.

ई-मेल/स्पीडपोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18 सांस्थागत क्षेत्र शहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ0 11-55/2000/केविस (सतर्कता)/पार्ट-3/1136-1146 दिनांक 18/10/2024

आदेश

पिछले आदेशों के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली में 'आंतरिक शिकायत समिति' को फिर से गठित करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की मंजूरी से अवगत कराया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (2) के प्रावधानों को 09 दिसंबर, 2013 को लागू किया गया। तदनुसार निम्नलिखित सदस्यों को 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) के लिए नामित किया गया है। यह समिति केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), क्षेत्रीय कार्यालयों व जेड आई ई टी के सभी समूह 'ए' के अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों एंव केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों का निपटान करती है।

क्र. संख्या	नामकरण	मनोनीत सदस्य का नाम
1.	पीठासीन अधिकारी	सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
2.	एन.जी.ओ. सदस्य	1. श्रीमती पूनम भटनागर, महासचिव, अधिवक्ता एवं समाजिक कार्यकर्ता, कोठी नंबर 235/3, सामने बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, पुरानी दिल्ली रोड, गुरुग्राम-122001 हरियाणा 2. प्रोफेसर दया पंत सेवानिवृत शिक्षा विभाग मनोविज्ञान और शिक्षा की नींव, एन.सी.ई.आर.टी., ओ 103 डिजाईन अरच, वैशाली, अनुभाग 5 गाजियाबाद -201010 3. ज्योति तोमर अध्यक्ष सुनहरी दिशा, चैरिटेबल ट्रस्ट रजि. वेस्ट माडॅल टाउन राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। 4. श्रीमती शीला बहल, महा सचिव, महिला शंति सेना, एनजीओ सदस्य, 42/11, बिलोचपुर, मदेरा कटरा, आगरा।
3.	महिला सदस्य	डॉ. ऋतु पल्लवी, सहायक आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
4.	पुरुष सदस्य	1. श्री पुष्पेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 2. श्री अभिषेक शर्मा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 3. श्री सौरभ जेटली, सहायक आयुक्त (स्था. 2/3.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 4. श्री मनोज कुमार पांडे, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)

आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित जिनको नामित किया गया है वह नियुक्त होने की तिथि से तीन वर्षो से अधिक कार्य नहीं करेंगे। इस समिति के पीठासीन अधिकारी निम्न कार्यो को भी सुनिश्चित करेंगे।

1. जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए एन.जी.ओ. सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित उपायुक्त/विद्यालय के साथ समन्वय करें।
2. एन.जी.ओ. सदस्य के साथ परस्पर समन्वय करें और दौरे के कार्यक्रम की सुविधाजनक योजना बनाएँ बनाएँ।
3. जांच विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.1997 के फैसले और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04. 2004 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य का मामला।
4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडन के मामलों की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
5. शिकायत मिलने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

जबकि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) प्राचार्य/उप–प्राचार्य के खिलाफ यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की प्रारंभिक/प्रथम चरण की जांच करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त इस जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई व विचार करने के लिए इसे अनुशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को भेजेंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(लाल बहादुर शर्मा)
सहायक आयुक्त (सतर्कता)

वितरण:-

1. सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विधालय संगठन (मु.) ।
2. श्रीमती पूनम भटनागर, महासचिव, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, कोठी नंबर 235/3, सामने बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, पुरानी दिल्ली रोड, गुरुग्राम–122001 हरियाणा मोबाइल नंबर 9910062999
3. प्रोफेसर दया पंत सेवानिवृत शिक्षा विभाग मनोविज्ञान और शिक्षा की नींव, एन.सी.ई.आर.टी. ओ 103 डिजाईन अरच, वैशाली, अनुभाग 5 गाजियाबाद –201010
4. ज्योति तोमर अध्यक्ष सुनहरी दिशा, चैरिटेबल ट्रस्ट रजि. वेस्ट मार्डल टाउन राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।
5. श्रीमती शीला बहल, महासचिव महिला शांति सेना, एनजीओ सदस्य, 42/11, बिलोचपुर, मदेरा कटरा, आगरा।
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की समिति से संबंधित सभी मनोनीत सदस्य ।
7. अवर सचिव (यूटी–2), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीट को इस निर्देश के साथ प्रेषित की इस आदेश को अपने नियंत्रणाधीन संभागीय कार्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।
9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के सभी अनुभागों व अधिकारियों को सूचनार्थ।
10. उपायुक्त (शैक्षिक), ईडीपी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को केवीएस वेबसाइट पर प्रशासन के तहत उप–शीर्ष 'सतर्कता' में अपलोड किया जाए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान / Autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
E-Mail : acbhopal@yahoo.com
Website : https://robhopal.kvs.gov.in/

☎ 0755 – 2550728 (DC)
2551678 (ACs)
2551699 (AO / FO)
Fax : 0755 – 2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल – 462 011 (म.प्र.)
Opposite Maida Mill,
Bhopal – 462 011 (M.P.).

फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/ 6942-49

दिनांक : 16.08.2024.
स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा–4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक फा.27-1/2023/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/7154 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
1.	Presiding Officer	Smt. Nirmala Budania, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal Phone No. : 0755 – 2551678	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office up to the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against Principals, Vice Principals & HMs of Bhopal Region.
2.	Female Member	Smt. Puja Shrivastava, Principal, Kendriya Vidyalaya, Sehore Phone No. : 07562 – 224410 / 225888	
3.	Male Member	Shri Gaurav Kumar Dwivedi, Principal, Kendriya Vidyalaya No. 1, Bhopal Phone No. 0755 – 2551640	
4.	NGO Member	Smt. Shobha Bhise, President, Organisation for Human Issues Alternative (OHIA), Bhopal Residence : B-188, Shahpura, Bhopal (MP) Phone No. 0755 – 4293715 / 4222038	

टिप्पणी :- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।

3. "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" / "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जॉंच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

(आर. सेन्दिल कुमार)
उपायुक्त

वितरण :-

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक / मुख्य सतर्कता अधिकारी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
3. उपायुक्त / निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
4. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
5. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग को इस निदेश के साथ कि आदेश को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने हेतु परिचालित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.03.2019 (संगठन की बेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुर्नगठित करने संबंधित उचित कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।
6. पी.ए. प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करायें।
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालनार्थ।
8. नोटिस बोर्ड / परिपत्र पत्रावलि।

ई-मेल/स्पीडपोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
18 सांस्थागतक्षेत्रशहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.11-55/2000-KVS(Vig.)Pt.3/654-664 Dated: 18/10/2024

ORDER

In supersession to previous orders on the subject, the approval of the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan is hereby conveyed to re-constitute the "Internal Complaints Committee" at Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) to deal with the complaints regarding sexual harassment of women at workplace, in terms of the provisions of Section 4(2) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 enforced on 9th December, 2013. Accordingly, the following members are nominated for constituting the 'Internal Complaints Committee' at KVS (HQ) level to deal with the complaints of sexual harassment in respect of women employees at KVS (Hqrs) and the complaints against all Group 'A" officers of KVS (HQ), Regional Offices and ZIETs.

S. No.	Nomenclature	Name of the nominated member
1	Presiding Officer	Ms. Chandana Mandal, Joint Commissioner (Trg.), KVS (HQ)
2	NGO Member	**1.** Mrs. Poonam Bhatnagar, General Secretary, Advocate & Social Worker, Kothi No. 235/3, Opp. BSNL Telephone Exchange, Old Delhi Road, Gurugram-122001 (Haryana). **2.**Prof. Daya Pant (Retd.), Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT, O 103 Design arch, Vaishali, Section 5 Ghaziabad – 201010 **3.** Jyoti Tomar (Chairman), Sunheri Disha, Charitable Trust (Reg.), West Model Town Rajnagar Extension, Ghaziabad. **4.** Smt. Sheela Bahal, General Secretary Mahila Shanti Sena (Reg.), NGO Member, 42/11, Bilochpura, Madera Katra, Agra
3	Female Member	Dr. Ritu Pallavi, Assistant Commissioner (Acad.), KVS (HQ)
4	Male Member	1. Mr. Pushpendra Kumar, Assistant Commissioner (Admn.) KVS (HQ) 2. Mr. Abhishek Sharma, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 3. Sh. Saurabh Jaitly, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 4.Sh.Manoj Kumar Pandey, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 5.Sh. Amar Pal Singh Brar, Assistant Commissioner, KVS (HQ) 6. Shri AK Srivastava, Assistant Commissioner KVS (HQ)

The Presiding Officer and the members of the above committee will hold office for a period not exceeding three years from the date of issue of this order. The Presiding Officer of the Committee will ensure the following:-

I. Co-ordinate with the NGO member, other members and respective Deputy Commissioner/ Vidyalaya to fix date and time for conduct of enquiry.

II. Co-ordinate with the NGO member and plan & facilitate the tour program.

III. The inquiry will be conducted in terms of guidelines contained in the judgment dated 13.08.1997 of the Hon'ble Supreme Court in Vishakaand Others

Versus State of Rajasthan & Others and order dated 26.04.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Medha Kotwal Lele& Others Vs Union of India & others.

IV. It is mandatory to have one NGO member while investigating the cases of sexual harassment of women employees.

V. Submission of Inquiry Report with specific findings and supporting documents alongwith her comments/recommendation within a period of one month from the date of such receipt of a complaint.

However, the ICC Committees constituted at the Regional Office level will conduct the preliminary/first stage inquiry into the complaints of Sexual Harassment against Principals/V.P.s.

The Deputy Commissioner of the Regional Offices will forward the inquiry reports to this HQ for consideration of the Disciplinary Authority for further action.

This issues with the approval of the competent authority.

(Lal Bahadur Sharma)
Assistant Commissioner (Vigilance)

Distribution:-

1. Ms. Chandana Mandal, Joint Commissioner (Trg.), KVS (HQ) & Presiding Officer, ICC at KVS(HQ).
2. Mrs. Poonam Bhatnagar, General Secretary, Advocate & Social Worker, Kothi No. 235/3, Opp. BSNL Telephone Exchange, Old Delhi Road, Gurugram-122001 (Haryana).
3. Prof. Daya Pant (Retd.), Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT, O 103 Design arch, Vaishali, Section 5 Ghaziabad - 201010
4. Jyoti Tomar (Chairman), Sunheri Disha, Charitable Trust (Reg.), West Model Town Rajnagar Extension, Ghaziabad.
5. Smt. Sheela Bahal, General Secretary, Mahila Shanti Sena (Reg.), NGO Member, 42/11, Bilochpura, Madera Katra, Agra.
6. All the nominated members concerned in KVS(HQ).
7. The Under Secretary (UT-2), Ministry of Education, Shastri Bhawan, New Delhi for information.
8. The Dy. Commissioners/Directors, All ROs/ZIETs with the directions to bring this order to the notice of all the employees of ROs & KVs under t heir control.
9. All Officers and Sections of KVS Hqrs, New Delhi.
10. The Dy. Commissioner (Acad.), EDP Cell with the request to upload the order on KVS Website in sub-head 'Vigilance' under "Administration"
11. Guard file.

ई-मेल/स्पीडपोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र शहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

सात् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ0 11–55/2000/केविस (सर्तकता)/पार्ट–3/1136–1146 दिनांक 18/10/.2024

आदेश

पिछले आदेशों के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली में 'आंतरिक शिकायत समिति' को फिर से गठित करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की मंजूरी से अवगत कराया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (2) के प्रावधानों को 09 दिसंबर, 2013 को लागू किया गया। तदनुसार निम्नलिखित सदस्यों को 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) के लिए नामित किया गया है। यह समिति केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), क्षेत्रीय कार्यालयों व जेड आई ई टी के सभी समूह 'ए' के अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों एंव केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों का निपटान करती है।

क्र. संख्या	नामकरण	मनोनीत सदस्य का नाम
1.	पीठासीन अधिकारी	सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
2.	एन.जी.ओ. सदस्य	1. श्रीमती पूनम भटनागर, महासचिव, अधिवक्ता एवं समाजिक कार्यकर्ता, कोठी नंबर 235/3, सामने बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, पुरानी दिल्ली रोड, , गुरूग्रम–122001 हरियाणा 2. प्रोफेसर दया पंत सेवानिवृत शिक्षा विभाग मनोविज्ञान और शिक्षा की नींव, एन.सी.ई.आर.टी., ओ 103 डिजाईन अरच, वैशाली, अनुभाग 5 गाजियाबाद –201010 3. ज्योति तोमर अध्यक्ष सुनहरी दिशा, चैरिटेबल ट्रस्ट रजि. वेस्ट मार्डल टाउन राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। 4. श्रीमती शीला बहल, महा सचिव, महिला शंति सेना, एनजीओ सदस्य, 42/11, बिलोचपुर, मदेरा कटरा, आगरा।
3.	महिला सदस्य	डॉ. ऋतु पल्लवी, सहायक आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
4.	पुरूष सदस्य	1. श्री पुष्पेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 2. श्री अभिषेक शर्मा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 3. श्री सौरभ जेटली, सहायक आयुक्त (स्था. 2/3.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 4. श्री मनोज कुमार पांडे, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 5. श्री अमर पाल सिंह बराड, सहायक आयुक्त (स्था.–1), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) 6. श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)

आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित जिनको नामित किया गया है वह नियुक्त होने की तिथि से तीन वर्षो से अधिक कार्य नहीं करेंगे। इस समिति के पीठासीन अधिकारी निम्न कार्यो को भी सुनिश्चित करेंगे।

1. जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए एन.जी.ओ. सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित उपायुक्त/विद्यालय के साथ समन्वय करें।
2. एन.जी.ओ. सदस्य के साथ परस्पर समन्वय करें और दौरे के कार्यकम की सुविधाजनक योजना बनाएँ बनाएँ।
3. जांच विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.1997 के फैसले और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य का मामला।
4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडन के मामलों की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
5. शिकायत मिलने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

जबकि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) प्राचार्य/उप-प्राचार्य के खिलाफ यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की प्रारंभिक/प्रथम चरण की जांच करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त इस जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई व विचार करने के लिए इसे अनुशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को भेजेंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(लाल बहादुर शर्मा)
सहायक आयुक्त (सतर्कता)

वितरण:-

1. सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विधालय संगठन (मु.)।
2. श्रीमती पूनम भटनागर, महासचिव, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, कोठी नंबर 235/3, सामने बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, पुरानी दिल्ली रोड, गुरूग्रम-122001 हरियाणा मोबाइल नंबर 9910062999
3. प्रोफेसर दया पंत सेवानिवृत शिक्षा विभाग मनोविज्ञान और शिक्षा की नींव, एन.सी.ई.आर.टी. ओ 103 डिजाईन अरच, वैशाली, अनुभाग 5 गाजियाबाद -201010
4. ज्योति तोमर अध्यक्ष सुनहरी दिशा, चैरिटेबल ट्रस्ट रजि. वेस्ट मार्डल टाअन राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।
5. श्रीमती शीला बहल, महासचिव महिला शंति सेना, एनजीओ सदस्य, 42/11, बिलोचपुर, मदेरा कटरा, आगरा।
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की समिति से संबंधित सभी मनोनीत सदस्य ।
7. अवर सचिव (यूटी-2), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीट को इस निर्देश के साथ प्रेषित की इस आदेश को अपने नियंत्रणाधीन संभागीय कार्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।
9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के सभी अनुभागों व अधिकारियों को सूचनार्थ।
10. उपायुक्त (शैक्षिक), ईडीपी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को केवीएस वेबसाइट पर प्रशासन के तहत उप-शीर्ष 'सतर्कता' में अपलोड किया जाए।
11. गार्ड फाईल।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रतलाम
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RATLAM
सागोद रोड, रतलाम-457001
C.B.S.E. SCHOOL NO. 54112 CBSE AFFILIATION NO. 1000035
Web: www.ratlam.kvs.ac.in Email ppl.ratlam@kvs.gov.in

F. 14034/KVRTM/2024-25/ DATE: 17/01/2025

सेवा में,
उपायुक्त महोदय,
केंद्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विषय:- आंतरिक शिकायत समिति का गठन/पुर्नगठन करने के संबंध में।

महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फर. 11-55/2000-केविर्स (सतर्कता) पार्ट-। दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-फेवितं (सार्नत्ता)/पार्ट-1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकधाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा-4 (2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम के अन्तर्गत प्राप्त 04.08.2023 के आलोक में दिशंक की धारा-4(3) के अन्तर्गत शिकायतों के निपटान से सम्बन्धित इस कार्यालय के पत्रांक F. 14024/KVRTM/2023-24/ DATE 10-04-2023 के द्वारा पूर्व मे गठित समिति मे संशोधन करते हुए आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पत्ता सहित	Jurisdiction
1	Presiding Officer / पीठासीन अधिकारी	Smt. Nirmala Budania, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal Phone No.: 0755-2551678	To inquire into the complaints of sexual harassment st work place against the Staff up to the level of Section Officer and against Principals,Teaching, Non Teaching, Official,of PM Shri Kendriya Vidyalaya Ratlam
2	महिला सदस्य	श्रीमती मोनिका जायसवाल, स्नातकोत्तर शिक्षिका – वाणिज्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम, दूरभाष सं.- 9407465110	
3	पुरुष सदस्य	डा. पद्मनाभ जोशी, स्नातकोत्तर शिक्षिका – हिंदी , पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रतलाम, दूरभाष क्र.- 9424870610	
4	गैर सरकारी संगठन (NGO) सदस्य	श्रीमती कल्पना योगी, सखी वन स्टाप सेन्टर,कालका माता मन्दिर, रतलाम दूरभाष क्र - 8770671602	

भवदीय

रामदयाल चन्देल 17.01.2025

(रामदयाल चंदेल)
प्राचार्य PRINCIPAL
पी एम श्री. के.वि., रतलाम
PM SHRI KV, RATLAM